न्यायालय अति.जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: डॉ राजेश गोयल, आर.ए.एस.

राजस्व विविध :: 65 / 2018
जी.सी.एम.एस. :: 2018 / 00089

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
सरकार जरिये तहसीलदार रानी		मांगीलाल पुत्र मानाजी, जाति प्रजापत निवासी खौड, तहसील रानी जिला पाली

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

प्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार श्री सुरेन्द्र सिंह लबाना।

–:: आदेश ::–

दिनांक : 20.5.2024

प्रार्थी सरकार जरिये तहसीलदार रानी द्वारा यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थी के अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी वक्त बहस न्यायालय में अनुपस्थित रहने से सरकारी पैरोकार की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

सरकारी पैरोकार ने बहस में कथन किया कि ग्राम खौड पटवार खौड तहसील रानी की जमाबन्दी सम्वत् 2071–2074 के अनुसार खसरा नम्बर 645 रकबा 3.00 बीघा किस्म बा.दो. अप्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है। मिसल हकीयत सम्वत् 2019 के अनुसार खसरा नम्बर 645/2 रकबा 11.15 बीघा किस्म गैमु.नाला दर्ज है। पटवार रिपोर्ट दिनांक 30.12.2016 के अनुसार खसरा नम्बर 645/2 रकबा 11.15 बीघा में से आवंटन कमेटी के आदेश दिनांक 626 दिनांक 30.09.67 के द्वारा पुखराज, राजुसिंह पि. भारू कौम रावणा राजपूत को 3.00 बीघा आवंटन की गयी थी। नामान्तरकरण संख्या 249 के द्वारा उक्त आराजी आंवटी के नाम दर्ज की गयी तथा नामान्तरकरण संख्या 699 दिनांक 04.10.77 के द्वारा आवंटी को खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये। जैर आराजी का बेचान हो जाने से नामान्तरकण संख्या 1493 दिनांक 30.08.1997 के द्वारा अप्रार्थी के नाम दर्ज हुयी। वादग्रस्त आराजी गै.मु.नाला के रूप में राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी तथा नदी, नाला, तालाब, अंगोर, गोचर, पायतन आदि किस्म की भूमिया राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत आवंटन/नियमन से प्रतिबंधित भूमिया है। साथ माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में दिये दिशा निर्देशों की पालना में जैर प्रार्थना पत्र आराजी की किस्म पुनः पुर्व की स्थिति बहाल किया जाना है। अतः उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आवंटन को भी निरस्त करते हुये उक्त भूमि की किस्म पुनः गै.मु.नाला दर्ज कराने हेतु रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रेषित किया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने पूर्व मे लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी भूमिहिन कृषक होने से आवंटन कमेटी द्वारा पूर्ण जांच कर भूमि का भौतिक सत्यापन एवं मौके पर कृषि योग्य भूमि होने से अप्रार्थी को आवंटित की गयी थी। जैर

अति. जिला कलेक्टर, पाली

आराजी भूमि वर्तमान में भी कृषि योग्य भूमि है मौके पर न तो कोई गैर मुमकिन नाला है और न ही नाला के कोई आलामत वर्तमान में है। जैर रेफरेन्स में कानूनी बिन्दुओं की पूर्ण पालना नहीं की गयी है। अतः रेफरेन्स को खारिज फरमावे।

हमने सरकारी पैरोकार की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। ग्राम खौड पटवार हल्का खौड तहसील रानी के जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 के खसरा नम्बर 645 रकबा 3.00 बीघा किस्म बा.दो. भूमि अप्रार्थी के नाम खातेदारी दर्ज है। मिसल हकीयत सम्वत् 2019 के अनुसार खसरा नम्बर 645/2 रकबा 11.15 बीघा की भूमि की किस्म गै.मु.नाला दर्ज है। खसरा नम्बर 645/2 रकबा 11.15 बीघा में से आवंटन कमेटी के आदेश 626 दिनांक 30.09.67 के द्वारा पुखराज, राजुसिंह पि. भारू कौम रावणा राजपूत को 3.00 बीघा आवंटन की गयी तथा नामान्तरकरण संख्या 249 के द्वारा आवंटी के नाम दर्ज की गयी। नामान्तरकरण संख्या 699 दिनांक 04.10.77 के द्वारा आवंटी को खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये। हाल खसरा नम्बर 645 का साबिक खसरा नम्बर 645/2 था, जिसकी किस्म गै.मु.नाला दर्ज थी। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के अनुसार ऐसी भुमि के आवंटन एवं नियमन पर प्रतिबंध है इसलिए पुखराज, राजुसिंह पि. भारू कौम रावणा राजपूत के पक्ष में किये गये उक्त आवंटन विधि विरूद्ध होने से खारिज योग्य है।

जैर प्रार्थना पत्र आराजी का आवंटी पुखराज, राजुसिंह पि. भारू द्वारा जरिये रजिस्टर्ड बेचान दिनांक 27.05.1997 से अप्रार्थी के पक्ष में किये जाने से नामान्तरकरण संख्या 1493 दिनांक 30.08.1997 के द्वारा जैर आराजी अप्रार्थी के नाम दर्ज की गयी तथा जमाबन्दी सम्वत् 2071–2074 के अनुसार खसरा नम्बर 645 रकबा 3.00 किस्म बा.दो. अप्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है लेकिन उक्त भूमि की किस्म पूर्व में गै.मु.वाली दर्ज थी। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2004 से पूर्णतः प्रभावित होने से आवंटन कमेटी द्वारा किए गए आवंटन आदेश 626 दिनांक 30.09.67 एवं उसकी पालना में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 249, 699 दिनांक 04.10.77 तथा नामान्तकरण संख्या 1493 दिनांक 30.08.1997 को कायम रखा जाना विधि सम्मत नहीं है।

परिणामस्वरुप तहसीलदार रानी द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित कर निवेदन है कि आवंटन आदेश 626 दिनांक 30.0967 एवं उसकी पालना में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 249, 699 दिनांक 04.10.77 एवं साथ ही इसके पश्चातवर्ती क्रम में हुये नामान्तरकरण संख्या 1493 दिनांक 30.08.1997 को अपास्त करते हुए ग्राम खौड पटवार हल्का खौड तहसील रानी के खसरा नम्बर 645 रकबा 3.00 बीघा किस्म बा.दो. से पुनः गै.मु.नाला दर्ज कर एवं भूमि को सरकारी खाते में दर्ज करवाने का आदेश प्रदान करावे।

(डॉ राजेश गोयल)
अति.जिला कलेक्टर,पाली
अति. जिला कलक्टर, पाली